रं कल्याण संस्था

''वन परसेंट इनकम'' सहयोग कोष–मानक प्रचालन प्रक्रिया

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम ''वन परसेंट इनकम'' सहयोग कोष मानक प्रचालन प्रक्रिया, SOP 2021'' होगी।

(2) यह तुरन्त प्रव्रत्त होगी।

2. निधि का श्रोत–

वार्षिक स्वैच्छिक योगदान (ओपीआई), भेंट, उपहार (डोनेशन), कॉर्पस कोष इत्यादि।

3. मानक प्रचालन प्रक्रिया, आबंटन, भुगतान, रिलीज, अवमुक्त–

इस एक प्रतिशत आय (ओपीआई) सहयोग कोष के प्रचालन हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया के लिये निम्नलिखित बिन्दु लागू होंगे–

1. ओपीआई से प्राप्त कुल राशि का 15 प्रतिशत कॉर्पस कोष में स्थान्तरित किया जाये।
2. शाखाओं को पूर्व में एक दिन की आय में से 50% व 100% राशि शाखा के खर्च और परिसंपत्तियों के रख–रखाव के लिये दिये जाने की व्यवस्था थी। ओपीआई की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत हर शाखाओं के सदस्यों द्वारा सहयोग किये गये कुल ओपीआई के 15% की राशि को शाखाओं के वार्षिक खर्च बजट के लिये अग्रिम राशि के रूप में आवंटित किया जायेगा।
3. शाखाओं को अपने वार्षिक बजट में विषयवस्तु का जस्टीफिकेशन के साथ केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। जिसके लिये केंद्रीय कार्यालय द्वारा सूचना तैयार कर हर शाखाओं को भेज दिया जायेगा।
4. केन्द्र में कोषाध्यक्ष अपनी टीम के साथ स्क्रूटनी कर केंद्रीय कार्यालय को एप्रूवल एवं फंड रिलीज के लिये प्रस्तुत करेगी। इसके लिये कोषाध्यक्ष को सहायक/सह कोषाध्यक्ष रखने की अनुमति दे दी जाती है।
5. केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा इस बजट को अगस्त माह तक पारित कर शाखाओं को आवश्यकता अनुसार आबंटित किया जायेगा।
6. ओपीआई में प्राप्त कुल राशि के 30% तक की राशि रं कम्युनिटी स्कूल तथा रं संग्रहालय/रं पुस्तकालय के खर्च हेतु आवंटित किया जा सकेगा। दोनों प्रतिष्ठानों में इस राशि को खर्च करने के लिए योजना तथा नियमावली को केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
7. ओपीआई में प्राप्त कुल राशि के 10% तक की राशि को रं राहत कोष में स्थानांतरित किया जायेगा जिससे राहत कोष नियमावली के अंतर्गत खर्च किया जायेगा।

8. समाज के लिये कल्याणकारी योजनाओं, जैसे कि रं कम्युनिटी स्कूल, रं संग्रहालय/रं पुस्तकालय के खर्च हेतु, विकलांग जन सहायता, गरीब बुजुर्गों की सहायता, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में चयनित होने वाली गरीब छात्रों को प्रोत्साहन राशि, रं राजू में रं चिकित्सकों द्वारा लगाये जाने वाले स्वास्थ्य कैम्प, सांस्कृतिक व पर्यावरण, कलचरल हैरिटेज (जसूली बूड़ी धर्मशाला इत्यादि) लुप्त होते सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के बजाने की कला व अन्य कला के संरक्षण और संर्वधन हेतु, माउन्टेरिंग व स्कीइंग के प्रशिक्षण संबधित डिजास्टर मेंनेजमेंट वर्कशॉप, इंटर प्ररिन्योरशिप, धारचूला में कोचिंग, क्रैश कोर्स, रं छात्रावास पिथौरागढ़ के रखरखाव, परिसम्पत्ति या अन्य अवस्थापना से संबंधित खर्च, योजनाओं के संचालन में सहयोग के लिये अनुबंधित वाह्य संस्थायें आदि के खर्च हेतु ओपीआई में प्राप्त कुल राशि का 25% तक आंवटित किया जायेगा।

   A. इन योजनाओं की एकरूपता के लिये केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा रूपरेखा बनायी जायेगी।

   B. स्थानीय शाखा द्वारा लाभार्थी चयन, लाभार्थी को लाभ पहुॅचाना तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि के संयोजन से योजना के कार्यान्वन में सहयोग किया जायेगा, जिसके लिये शाखा का दायित्व होगा।

9. संस्था द्वारा शाओं में परिसम्पत्ति या अन्य अवस्थापना से संबंधित खर्च को आवश्यकतानुसार योजना बनाकर केन्द्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृत कराकर ओपीआई से धन आबंटन किया जा सकेगा।
10. इन सभी योजनाओं के संचालन हेतु संस्था की ओर से एक मुख्य योजना संचालक नामित किया जायेगा और योजना संचालन व्यय हेतु भी धन आवंटन किया जायेगा जिसके लिये मुख्य संचालक द्वारा मोनीटरिंग की व्यवस्था की जायेगी।
11. कुछ योजनाओं के संचालन में सहयोग के लिये वाह्य संस्थाओं को भी अनुबंधित किया जा सकेगा।
12. योजनाओं के संचालन खर्च को कुल ओपीआई के 5% तक सीमित किया जायेगा।
13. शाखाओं की परिसम्पत्ति के रखरखाव हेतु अगर कोई बड़ा खर्च हो तो उसके लिये इस कोष से धन आवंटन किया जा सकेगा।
14. अप्रयुक्त राशि (unutilised fund) को आगामी वर्षों में नियमानुसार खर्च करने की अनुमति प्राप्त की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ए0जी0एम0 के दौरान समीक्षा की जाती रहेगी।